राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक :एफ 7 (2) ()/स.छा./सान्याअवि/19/36331-37048 जयपुर,दिनांक 24/06/19

उप निदेशक/सहायक निदेशक/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...(समस्त)	प्रधानाचार्य, आवासीय विद्यालय (राईस) ....(समस्त)

विषयः—विभागीय राजकीय भवनों के उचित रखरखाव हेतु दिनांक **10.07.2019** से **30.09.2019** तक **"भवन सुधारो अभियान"** के क्रियान्वयन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विभागीय राजकीय भवनों में संचालित छात्रावास, आवासीय विद्यालय, गृहों आदि भवनों में उचित रखरखाव, टूट—फूट की मरम्मत, रंग—रोगन, नवीनीकरण आदि की आवश्यकता महसूस की गई है। विभाग द्वारा इस संबंध में **"भवन सुधारो अभियान"** निम्नानुसार क्रियान्वित किया जाना है :—

(A). <u>"भवन सुधारो अभियान" में किये जाने वाले कार्य</u> :—

a. विभागीय राजकीय भवनों, आवासीय विद्यालयों , छात्रावासो एवं गृहों में लघु मरम्मत आदिः—

1.विभागीय राजकीय भवनों की मरम्मत व रंग—रोगन आदि।
2.फर्नीचर, दरवाजे—खिडकियां, खिडकियों के शीशे, खिडकियों की जालियां, अलमारियों के दरवाजे आदि की मरम्मत।
3.राजकीय भवनों का नाम, आवश्यक दिशा—निर्देशों का दीवारों पर पेंट से अंकन।
4 शौचालय एवं स्नानघरों में सैनेट्री फिटिंग्स एवं पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना।
5.बिजली फिटिंग्स, पंखे की सर्विसिंग,स्वीच्स आदि की मरम्मत।
6.भवन परिसर में खाली जमीन पर वृक्षारोपण का कार्य।

b. विभागीय राजकीय भवनों, आवासीय विद्यालयों, छात्रावासो एवं गृहों में साफ—सफाई :—

1.शौचालय एवं स्नानघरों की साफ—सफाई ।
2.जल संग्रहण हेतु प्रयुक्त टंकियों, हौद आदि की समुचित साफ—सफाई।
3.विभागीय राजकीय भवन एवं भवन परिसर की अनावश्यक खरपतवार हटवाकर साफ—सफाई।
4.खाना खाने एवं पानी पीने के लिए प्रयुक्त होने वाले बर्तनों की समुचित साफ—सफाई।
5.खाद्य सामग्री के रखने हेतु उपयोग में आने वाले डिब्बों/टंकियों की समुचित साफ—सफाई।
6.बिस्तर यथा—कंबल, खेस, चद्दर, तकिये कवर आदि की धुलाई/ड्राई—क्लीनिंग।

(B). <u>वित्त व्यवस्था :—</u>

उक्तानुसार "भवन सुधारो अभियान" में मरम्मत, रंग—रोगन, साफ—सफाई आदि कार्य करवाने हेतु निम्नानुसार वित्तीय राशि का उपयोग किया जा सकेगा :—

- छात्रावास/आवासीय विद्यालय के भवनों की मरम्मत आदि कार्यो के लिए प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह नियत राशि 50 रूपए का उपयोग किया जा सकेगा।
- छात्रावास स्तर पर उपलब्ध मैस समिति की बचत राशि में से भी RTPP Act 2012 एवं RTPP नियम,2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार व्यय किया जा सकेगा।
- राजकीय भवनों की मरम्मत के लिए पूर्व में स्वीकृत राशि में से शेष बची राशि का उपयोग हेतु संबंधित कार्यकारी एजेन्सी से समन्वय सुनिश्चित करवाया जावे।
- भवन मरम्मत हेतु आवंटित/उपलब्ध मद से व्यय किया जा सकेगा।

- जनप्रतिनिधियों / भामाशाहों / अभिभावकों से भी सहयोग लिया जा सकेगा।
- अन्य उपलब्ध मद / संसाधन।

उपरोक्त कार्यो का क्रियान्वयन तीन चरणों में किया जाना है :-

1.प्रथम चरण :-कार्यो का चिन्हीकरण (Identification of Works)

दिनांक 10.07.2019 से 18.07.2019 तक उपलब्ध बजट / संसाधन के आधार पर ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी / प्रधानाचार्य, आवासीय विद्यालय / छात्रावास अधीक्षक के द्वारा किये जाने वाले कार्यो का चिन्हीकरण किया जायेगा एवं इसकी **समग्र रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में दिनांक 19.07.2019 तक जिलाधिकारियों को प्रस्तुत करेगें।**

2.द्वितीय चरण:-कार्यो का क्रियान्वयन एवं पूर्ण कराना (Execution & Completion of Works)

दिनांक 21.07.2019 से 30.09.2019 तक ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी / प्रधानाचार्य, आवासीय विद्यालय / छात्रावास अधीक्षक अपनी देखरेख में संबंधित भवनों में चिन्हित किये गये कार्यो को पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगें।

3.तृतीय चरण (जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 2019) :- निरीक्षण एवं समीक्षा (Inspection & Review)

माह में समय-समय पर विभाग द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी फील्ड में जाकर "भवन सुधारो अभियान" का निरीक्षण एवं समीक्षा निम्न स्तरों पर निम्नानुसार की जायेगी :-

1.जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा समीक्षा (माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 2019 में) :-

- जिला स्तरीय अधिकारीगण भवन सुधारों अभियान से संबंधित अपने अधीनस्थ समस्त कार्मिकों की **08 जुलाई, 2019** को बैठक आयोजित कर अभियान संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करेंगे।
- जिला स्तरीय अधिकारीगण साप्ताहिक रूप से राजकीय भवनों का निरीक्षण कर अभियान संबंधी प्रगति की जानकारी लेंगे तथा संबंधित कार्मिकों को मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करेंगे।

2.जिला नोडल अधिकारियों द्वारा समीक्षा (माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 2019 में):-

- निदेशालय स्तर से नियुक्त जिला नोडल अधिकारियों द्वारा अभियान के दौरान कम से कम दो बार आवंटित जिलों का भ्रमण कर समीक्षा की जावेगी।
- जिला नोडल अधिकारी अभियान के प्रारम्भ में एवं अभियान समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से आवंटित जिलों का भ्रमण कर संबंधित विभागीय जिलाधिकारियों / सामाजिक सुरक्षा अधिकारीएवं छात्रावास अधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करेंगे।
- अभियान प्रारम्भ के भ्रमण के दौरान जिला स्तर पर समस्त विभागीय अधिकारियों, आवासीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं छात्रावास अधीक्षकों सहित संबंधित कार्मिकों की बैठक आयोजित कर अभियान संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करेंगे।

3.निदेशालय स्तर पर समीक्षा :-

- निदेशक, सान्याअवि द्वारा **दिनांक 22.07.2019 को आयोजित VC में** प्रथम चरण की समीक्षा की जावेगी।
- निर्धारित विडियों कान्फ्रेन्स से पूर्व सान्याअवि के जिला स्तरीय अधिकारी / सामाजिक सुरक्षा अधिकारी तथा प्रधानाचार्य, आवासीय विद्यालय अपने विभागीय भवनों का निरीक्षण कर, भवनवार सम्पूर्ण जानकारी के साथ विडियों कान्फ्रेन्स में उपस्थित रहेंगे। माह अक्टूम्बर, 2019 में उपरोक्त सभी के साथ पुनः समीक्षा की जायेगी।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

(सांवर मल वर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

D:\work\01.01.2019 (new) /doc

क्रमांक :एफ 7 (2) ( )/रा.छा./सान्याअवि/19/ 37049 - 98 जयपुर, दिनांक 21/6/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधि. विभाग, राज जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामा. न्याय एवं अधि. विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, विशेष योग्यजन, राजस्थान, जयपुर।।
5. निजी सहायक, निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), मुख्यावास।
7. निजी सहायक, अति. निदेशक,(छात्रवृति एवं छात्रावास), सान्याअवि, मुख्यावास।
8. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
9. अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.) मुख्यावास।
10. अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण), मुख्यावास।
11. उप निदेशक (राईस), मुख्यावास।
12. सहायक निदेशक (छात्रावास)/महिला कल्याण/वृद्ध कल्याण, मुख्यावास।
13. एनालिस्ट सिस्टम (संयुक्त निदेशक), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं संबंधित को ई–मेल हेतु।
14. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को प्रेषित कर लेख है कि समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करें।
15. जिला कलेक्टर (समस्त)।
16. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (समस्त)।
17. प्रधानाचार्य, आवासीय विद्यालय (समस्त)।
18. आदेश पत्रावली।

Pl. upload on website & mail to concerned.
Programmer/IA
25/6/19

(दिनेश कुमार जांगिड़)
अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

भवन सुधारो अभियान, 2019–20 के लिए आवासीय विद्यालय/छात्रावास/गृहों हेतु प्रिसिंपल/छात्रावास अधीक्षक/गृह प्रभारी द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र :–

आवासीय विद्यालय/छात्रावास/गृह का नाम..

जिले का नाम..

उपलब्ध वितीय संसाधन/राशि का विवरण

बजट के स्त्रोत	उपलब्ध राशि
1.छात्रावास की मैस समिति की बचत राशि	
2.प्रति आवासी 50 रूपये की बचत/अवशेष राशि	
3.राजकीय भवनों में मरम्मत के लिये पूर्व में स्वीकृत राशि यदि है तो विवरण।	
4.जनप्रतिनिधियों/भामाशाह/अभिभावकों द्वारा दी गयी राशि का विवरण	
5.अन्य उपलब्ध मद/संसाधन	
कुल उपलब्ध राशि	

चिन्हित किये गये कार्य

अभियान में कराये जाने वाले कार्यो की श्रेणी	श्रेणी अनुसार चिन्हित कार्यो का विवरण	अनुमानित लागत राशि
1.विभागीय भवनों की मरम्मत/रंग–रोगन		

D \work\01.01.2019 (new) /doc

2.फर्नीचर दरवाजे– खिड़कियों /अलमारियों की मरम्मत		
3.शौचालय एवं स्नानघरों में सेनट्री फिटिंग्स/पानी की व्यवस्था		
4.विद्युत/पंखे मरम्मत एवं विद्युत फिटिंग कार्य		
5.अन्य कार्य यदि कोई हो		
	कुल अनुमानित लागत राशि	

नोटः– उपरोक्त प्रपत्र दिनांक 19.07.2019 तक भर कर छात्रावास अधीक्षक द्वारा जिलाधिकारी को जमा कराया जाना आवश्यक है।

हस्ताक्षर संस्था प्रभारी